हरियाणा ने अनुसूचित जाति उप-वर्गीकरण को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

हरियाणा मंत्रिपरिषद ने [अनुसूचित जातियों (SC) का उपवर्गीकरण](https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/haryana-approves-sc-sub-classification) करने के लिये **राज्य अनुसूचित जाति आयोग** की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया।

प्रमुख बिंदु:

- **उद्देश्य: उप-वर्गीकरण** का उद्देश्य विभिन्न अनुसूचित जाति समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं को मान्यता देकर, विशेष रूप से शैक्षिक और रोज़गार क्षेत्रों में, **लाभों** और **अवसरों का अधिक न्यायसंगत वितरण** सुनिश्चित करना है।
- **पैनल की सिफारिश:** आयोग ने अनुसूचित जाति समुदाय के अधिक वंचित वर्गों को बेहतर प्रतिनिधित्व और सहायता प्रदान करने के लिये अनुसूचित जातियों की एक नई श्रेणी बनाने का सुझाव दिया।
    - आयोग ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के उद्देश्य से दो श्रेणियों में उपवर्गीकरण करने की सिफारिश की:
        - **वंचित अनुसूचित जातियाँ (DSC),** जिसमें बाल्मीकि, धानक, मज़हबी सिख, खटीक, जैसी **36 जातियाँ** शामिल हैं।
        - **अन्य अनुसूचित जातियाँ (OSC),** जिनमें चमार, जटिया चमार, रेहगर, रैगर, रामदासी, रविदासी, जाटव, मोची, रामदासिया जैसी जातियाँ शामिल हैं।
- **कार्यान्वयन:** राज्य सरकार नई श्रेणियों को प्रतिबिंबित करने और लक्षित समर्थन सुनिश्चित करने के लिये मौजूदा नीतियों और योजनाओं में संशोधन के माध्यम से इस उप-वर्गीकरण को लागू करने की योजना बना रही है।
- **संभावित प्रभाव:** यह कदम विभिन्न अनुसूचित जाति समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित कर उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बेहतरीकरण के लिये सकारात्मक नीतिगत सुधार के रूप में कार्य करेगा।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/haryana-approves-sc-sub-classification